



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112025-267749
CG-DL-E-18112025-267749

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5050]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947

No. 5050]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2025

का.आ. 5220(अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार, सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1755 (ई) दिनांक 12 अक्टूबर 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 12 अक्टूबर 2006 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है - अर्थात्:

उक्त अधिसूचना एस.ओ. 1755 (ई) की अनुसूची में

क्रमांक	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
-1	-2	-3
1	एस.ओ. 1161 (ई), दिनांक 24 नवंबर, 2001	क) कॉलम 3 में क्रम संख्या (4) के समक्ष, "विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अधिग्रहण), राष्ट्रीय राजमार्ग, तिरुचिरापल्ली" प्रविष्टि के स्थान पर "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, तंजावुर" प्रविष्टि रखी जाएगी।

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना एस.ओ. 1161 (ई) दिनांक 24 नवंबर, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii), दिनांक 24 नवंबर, 2001 में प्रकाशित।

[फा. सं NHAI-13015/1/99-Trichy/145/B]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th November, 2025

S.O. 5220(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in each of the Notifications of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 1755 (E) dated 12th October 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), dated 12th October 2006 - namely:

In the Schedule to the said Notification S.O. 1755 (E)

Serial Number	Notification number and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1	S.O. 1161 (E), dated the 24th November, 2001	a) Against Serial number (4) in Column 3, for the entry “Special District Revenue Officer (Land Acquisition), National Highways, Tiruchirappalli,” shall be substituted as “Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National Highways, Thanjavur.”

Foot Note: The Principal notification was published vide S.O. 1161 (E) dated 24th November, 2001, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), dated 24th November, 2001.

[F. No. NHAI-13015/1/99-Trichy/145/B]

SHAIKH AMINKHAN, Director